



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2722/79-वि-1-17-1(क) 24/17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2018]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 3 सन् 1956
की धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में-

खण्ड (क), (क-1) और (क-2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार से होगा जब अपील इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गयी हो और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरुद्ध की गयी हो तो मण्डलायुक्त से होगा,

(क-1) "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण से है, जो अपनी अधिकारिता के अधीन भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसके पास ऐसी अचल सम्पत्ति के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां हैं,

(क-2) "मनोरंजन" में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, आमोद, खेल, क्रीडा (घुड़दौड़ सहित), डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं, केबिल सेवाएं, चलचित्र, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन, जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित हैं और चलचित्र तथा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के मामले में वृत्त चित्र के प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान या पृथक रूप से समाचार-फिल्म, वृत्त चित्र, कार्टून, विज्ञापन, लघु फिल्म तथा स्लाइड्स सम्मिलित हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मनोरंजन के रूप में अधिसूचित कोई क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं,

(क-3) "वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन" का तात्पर्य किसी पूर्व रिकार्डेड कैसेट या अन्य युक्ति द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय या वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य साधन द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, सचल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला को, चाहे टेलीविजन के सेट की स्क्रीन पर या वीडियो स्कोप या अन्यथा पर, प्रवेश के लिये भुगतान लेकर जनता के लिए या जनता में प्रदर्शन करने से है,

(क-4) "गिनी सिनेमा" का तात्पर्य 125 के बैठने के स्थान की क्षमता वाले किसी स्थाई भवन में चलचित्र प्रदर्शन या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त एकल स्क्रीन सिनेमा से है,

(क-5) "मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ दो या दो से अधिक सिनेमाहालों के समूह या समुच्चय से है,

(ख) खण्ड (घ-1) और (घ-2) निकाल दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (झ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्,

"(क) चलचित्र या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, या"

(ख) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति रखने वाला लाइसेंस प्राधिकारी जिसे एतत् पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा।

परन्तु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी शक्तियाँ, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करें, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ या उसे अपवर्जित करते हुए प्रदान कर सकती है :

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसी कोई शक्तियाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा साथ-साथ प्रयोक्ताव्य हों, वहाँ उनमें से प्रत्येक अधिकारी अपने द्वारा पारित समस्त आदेशों की सूचना एक दूसरे को देता रहेगा और उनके मध्य किसी विषय पर भिन्न राय होने की दशा में राज्य सरकार को सौचित्य किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

5-मूल अधिनियम धारा 4 के पेशवात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात:-

धारा 4-क एवं
4-ख का बढावा
जाना

4-क (1) कोई मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान मनोरंजन करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आयोजित करने की अनुमति पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।

(2) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मनोरंजन की अनुमति स्वयं का यह समाधान ही जाने के पश्चात दे सकता है कि उस स्थल, जहाँ पर मनोरंजन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु समुचित सावधानी बरती गयी है तथा वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे मनोरंजन के आयोजन को रोक सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

(क) रवागी ने कोई गिथ्या सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप करापवचन संभावित हो ;

(ख) रवागी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध को भंग किया हो या उसके द्वारा भंग किया जाना संभावित हो, या

(ग) मनोरंजन आयोजित किये जाने से लोक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ;

परन्तु इस धारा में कोई बात डायरेक्ट टू होम, केबिल सेवाओं और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्त सभी मनोरंजनों पर लागू नहीं होगी।"

4-ख (1) धारा 3 में यथा उपबन्धित मनोरंजन हेतु अपेक्षित अनुज्ञप्ति, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनाधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है :

(2) धारा 4.क में यथा उपबन्धित अनुमति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित पांच वर्ष से अनाधिक की अपेक्षित अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसी शीति से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा या प्रदान करने से इन्कार करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस या अनुमति प्रदान की गयी समझी जायेगी।

(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता/सकती है। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी प्राप्त कर सकता है।

परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति, तथ्यों के दुर्व्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

धारा 5 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में,

(i) खण्ड (कक) में, उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(i) राज भवन, राज्य सरकार के सचिवालय या उच्च न्यायालय से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है;”

(ii) उप खण्ड (ii) और (iii) निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उप खण्ड (खख) निकाल दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् उपसंजात होने वाले स्पष्टीकरण में ;

(i) स्पष्टीकरण (1) निकाल दिया जायेगा।

(ii) स्पष्टीकरण (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी बद्ध दी जायेगी, अर्थात् :-

“टिप्पणी-सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मीटर-किलोग्राम-सेकेंड (एमओकेएसओ) प्रणाली में वास्तविक माप प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।”

धारा 6-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 6-क में,-

(क) उपधारा (1) में, शब्द “वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी” के स्थान पर शब्द “वीडियो लाइब्रेरी” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में, शब्द “चलचित्र या वीडियो” के स्थान पर शब्द “चलचित्र या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम या वीडियो” रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा-8 में,-

(क) उपधारा (1) में, शब्द “वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी” के स्थान पर शब्द “वीडियो लाइब्रेरी या मनोरंजन आयोजित करना” रख दिये जायेंगे और शब्द “दस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “बीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द “पांच हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “दस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) में शब्द “पच्चीस हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “पचास हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में,-

(क) खण्ड (क) में, शब्द “वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी” के स्थान पर शब्द “वीडियो लाइब्रेरी” रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (कक) में शब्द “पचास हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “दो लाख रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 13-क का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बद्ध दी जायेगी,

अर्थात् -

“13-क-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा विधिवान्यकरण यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध, उक्त अधिनियम सन् और व्यक्ति 2017 के प्रारम्भ होने के पूर्व, लम्बित आवेदन-पत्रों और स्थायी भवन निर्माण हेतु दिये गये अनुमोदन तथा प्रदान किये गये लाइसेंस के लिये भी लागू होंगे।”

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, चलचित्र या वीडियो के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनों को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुए तीव्र विकास तथा निर्माण की तकनीकों में हुए परिवर्तन के कारण उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :-

(क) सिनेमा/गल्टीप्लेक्सेज के निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु "राक्षम प्राधिकरण" को परिभाषित किया जाना;

(ख) आर्थिक रूप से व्यवहार्य लघु सिनेमा-निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु "मिनी सिनेमा" को परिभाषित किया जाना ;

(ग) डिजिटाइजेशन के पश्चात् सेट टॉप बॉक्स के अधिष्ठापन की अनिवार्यता के कारण टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी के लाइसेन्स की व्यवस्था को हटाया जाना ;

(घ) उत्तर प्रदेश आगोद और पणकर अधिनियम, 1979 के निरसन के पश्चात् अन्य मनोरंजनों के आयोजन की अनुमति दिया जाना;

(ङ) सिनेमा/गल्टीप्लेक्सेज का लाइसेन्स तथा अन्य मनोरंजन की अनुमति विहित समय के अन्तर्गत प्रदान करने के लिए ऑन लाइन प्रणाली किया जाना, जिसमें विफल होने पर लाइसेंस या अनुमति प्रदान किया गया समाप्त जायेगा ;

(च) राजभवन, राज्य सरकार का सचिवालय और उच्च न्यायालय के लिये ही न्यूनतम दूरी का उपबन्ध निर्बंधित किया जाना ;

(छ) शारित एवं प्रशमन प्रभार पुनरीक्षित किया जाना;

(ज) सिनेमा/गल्टीप्लेक्सेज के लिए लाइसेन्स/नवीकरण की समयावधि में वृद्धि किया जाना।
सदनुसार, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2722(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 24/17

Dated Lucknow, January 6, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chalchitra Sankhya 7 of 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :-

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION)

(AMENDMENT) ACT, 2017

[U.P. ACT No. 7 of 2018]

(as passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AND

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.

THIS IS THEREBY enacted in the Sixty eighth Year of the Republic of India as

follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Amendment Act, 2017. Short title and extent

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act no. 3 of 1956

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 *hereinafter* referred to as principal Act,-

(a) for clauses (a), (a-1) and (a-2) the following clauses shall be *substituted*, namely:-

“(a) “**appellate authority**” means the State Government when the appeal is preferred against the order of an Officer, notified by the State Government for this purpose and the Divisional Commissioner when the appeal is preferred against an order of the District Magistrate.

(a-1) “**Competent Authority**” means the local authority created or established under any law for the time being in force by the State Government which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property;

(a-2) “**Entertainment**” includes any exhibition, performance, amusement, game, sport (including horse race), Direct-To-Home Broadcasting services, Cable Services, exhibition by means of cinematograph, Digital Projection System and Video, to which persons are admitted for payment and, in the case of exhibition by means of cinematograph and Digital Projection System includes exhibition news-reel, documentaries, cartoons, advertisements, shorts and slides, whether before or during the exhibition of a feature film or separately. It also includes any activity notified as entertainment by the State Government from time to time;

(a-3) “**exhibition by means of video**” means an exhibition to or in public, on payment for admission of moving pictures or series of pictures, by playing or replaying a pre-recorded cassette or any other device, by whatever name called or by means of a video cassette player or any other apparatus, by whatever name called whether on screen of a television set or video scope or otherwise;

(a-4) “**Mini Cinema**” means a single screen cinema licensed for cinematograph exhibition or exhibition through digital projection system in a permanent building with seating capacity not exceeding 125;

(a-5) “**Multiplex**” means a group or conglomeration of two or more than two cinema halls within the same premises with commercial, cultural and other entertainment related facilities;”

(b) clauses (f-1) and (f-2) shall be *omitted*.

(c) in clause (i) the words and figures “the Uttar Pradesh Entertainments and the Betting Tax Act, 1979” shall be *omitted*.

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act,-

(a) for clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:-

“(a) give an exhibition by means of cinematograph or digital projection system, or”;

(b) clause (d) shall be *omitted*.

Amendment of
section 4

4. For section 4 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:-

“4. The authority having power to grant license under this Act Licensing Authority (hereinafter referred to as the licensing authority) shall be the District Magistrate:

Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, confer upon an Officer, notified by the State Government for this purpose, for the whole or any part of the State, such of the powers of the licensing authority under this Act, as it may specify in the notification, either concurrently with or to the exclusion of the District Magistrate.

Provided further that where any of such powers are exercisable concurrently by the District Magistrate and an Officer, notified by the State Government for this purpose, each of them shall keep the other informed of all orders passed by them, and in case of difference of opinion between them on any matter a reference shall be made to the State Government whose decision shall be final."

5. After section 4 of the principal Act the following sections shall be inserted, namely:-

Insertion of sections 4-A and 4-B

"4-A. (1) No entertainment on which any tax is leviable, whether Permission for holding entertainment exempted from the liability to pay tax or not, shall be held without obtaining prior permission of the District Magistrate.

(2) The District Magistrate may permit any such entertainment after satisfying himself that proper precaution has been taken for electrical and fire safety, law and order, public order and safety, and extra safety measure have been taken for any arrangement of air cooling or air conditioning facility and any other electrical installations at the place where the entertainment is proposed to be held.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of this Act or any other law for the time being in force, the District Magistrate or any other officer authorized by the State Government in this behalf, may prohibit the holding of such entertainment, if he is satisfied that—

(a) the proprietor has given any false information which is likely to result in the evasion of tax;

(b) the proprietor has committed or likely to commit a breach of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(c) the holding of the entertainment is prejudicial to public safety, decency or morality:

Provided that nothing in this section shall apply to Direct-to-Home, cable services and all entertainments licensed under the provisions of this Act."

"4-B (1) A license required for the entertainments, as provided in Provisions related to the licensing and permission section 3 may be granted by the licensing authority for a period not exceeding five years.

(2) A permission, as provided in section 4-A may be granted by the District Magistrate for the required period as mentioned in an application not exceeding five years.

(3) On submission of an application complete in all respect the licensing authority or the District Magistrate shall grant or refuse to grant license or permission within 30 days from the date of receipt of an application in such manner as may be prescribed by the State Government. On expiry of the said period, the license or the permission shall be deemed to be granted.

(4) The applicant may submit his/her application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees (if any). If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license or permission shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license or permission from the departmental web portal:

Provided if the license or permission is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license or permission shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority or District Magistrate and legal action shall be taken against applicant.”

Amendment of section 5

6. In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (aa) for sub clause (i) the following sub clause shall be *substituted*, namely:-

“(i) is situated at a distance of not less than 200 metres from the Raj Bhawan, the State Government Secretariat or the High Court ;”

(ii) sub clauses (ii) and (iii) shall be *omitted*.

(b) clause (bb) shall be *omitted*.

(c) in the Explanation appearing after clause (c);

(i) Explanation (1) shall be *omitted*;

(ii) *after* Explanation (2) the following note shall be *inserted*, namely;

“NOTE-The certificate of actual measurement in Metre-Kilogram-Second (M.K.S.) system shall be provided by the Competent Authority or the person authorized by him.”

Amendment of section 6-A

7. In section 6-A of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) *for* the words “video library or television signal receiver agency” the words “video library” shall be *substituted*.

(b) in sub-section (4) *for* the words “cinematograph or video” the words “cinematograph or digital projection system or video” shall be *substituted*.

Amendment of section 8

8. In section 8 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) *for* the words “video library or television signal receiver agency” the words “video library or holds entertainment” and *for* the words “ten thousand rupees” the words “twenty thousand rupees” shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2) *for* the words “five thousand rupees” the words “ten thousand rupees” shall be *substituted*.

(c) in sub-section (3) *for* the words “twenty five thousand rupees” the words “fifty thousand rupees” shall be *substituted*.

Amendment of section 13

9. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2),-

(a) in clause (a) *for* the words “video library or television signal receiver agency” the words “video library” shall be *substituted*.

(b) in clause (aa) *for* the words “fifty thousand rupees” the words “two lakh rupees” shall be *substituted*.

Insertion of section 13-A

10. After section 13 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

“13-A. The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Validation and Savings to the applications pending and approval given for construction of permanent building and license granted before the commencement of the said Act of 2017.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 has been enacted to regulate the exhibitions of films through cinematograph or video. Due to fast development in science and technology and change in construction techniques it has become necessary to amend the said Act. It has, therefore, been decided to amend the said Act mainly to provide for,-

- (a) defining "Competent Authority" for the grant of permission regarding construction of Cinema/Multiplexes;
- (b) defining "Mini Cinema" to promote the construction of economically viable small cinemas;
- (c) omission of licensing of Television Signal Receiver Agency due to compulsory installation of Set Top Boxes after digitization;
- (d) permission of holding other entertainments after repealing the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979;
- (e) online system for granting the license of cinema/multiplexes and permission of other entertainment within prescribed time, failing which license or permission will be deemed to have been granted;
- (f) restricting the provision of minimum distance only to the Raj Bhavan, the State Government Secretariat and the High Court;
- (g) revising the penalty and composition charges; and
- (h) extending the time period of license/renewal for Cinema/ Multiplexes.

The Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.